न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2007

सैयद एजाज.....वादी

बनाम

नगीना शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
24.01.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 12.07.2025 अन्दर धारा 151 के तहत दाखिल किया गया, जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11.10.2022 को दाखिल किया गया है जो आज दिनांक 24.01.2026 को आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि वादी के द्वारा दाखिल आवेदन 05.12.2019 को सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 18.04.2022 को न्यायालय द्वारा निष्पादित करते हुए आदेश दिया गया कि वादी के द्वारा दाखिल माहादानामा को असल मानते हुए रि–कन्सट्रक्ट किया जाए। वादी का निवेदन है कि असल माहादानामा के छायाप्रति को मूल माहादानामा स्वीकार करते हुए न्यायहित में प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए। असल हाल है कि वादी के साक्ष्य के क्रम में वादी की ओर से आये साक्षी सं0–3 मनक प्रसाद का साक्ष्य न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2017 को अभिलिखित किया गया तथा साक्ष्रू के क्रम में वादी साक्षी सं0–3 ने वादी के द्वारा दाखिल माहादानामा की छायाप्रति को साबित किया है, जिसे न्यायालय द्वारा केवल पहचान के लिए (X) प्रदर्श अंकित किया गया है। असल माहादानामा दिनांक 25.01.2005 की छायाप्रति को न्यायालय के द्वारा पहचान वास्ते (X) प्रदर्श अंकित किया गया है। उस समय न्यायालय द्वारा रि–कन्सट्रक्ट पर कोई आदेश नहीं दिया गया था परन्तु रि–कन्सट्रक्ट पर दिनांक 18.04.2022 को न्यायालय द्वारा आदेश कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में असल माहादानामा की छायाप्रति को जो पूर्व में (X) मार्क किया गया है, उसी (X) मार्क अंकित असल माहादानामा की	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2007

सैयद एजाज.....वादी

बनाम

नगीना शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 24.01.2026	छायाप्रति को वादी की ओर से प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाए। रि–कन्सट्रक्ट कर असल माहादानामा की छायाप्रति को प्रदर्श अंकित करने का आदेश नहीं दिया जाएगा तो वादी को न्याय पाने से वंचित हो जाएंगे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि असल माहादानामा की छायाप्रति को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाए। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 11.10.2022 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादी का आवेदन दिनांक 30.08.2022 न तो तथ्यों के आलोक में न तो विधि की दृष्टि में पोषणीय है बल्कि सरसरी तौर पर खारिज होने के लायक है। वादी ने इसके पूर्व दिनांक 12.07.2022 को इसी आशय का आवेदन दाखिल किया था जिसमें कहा था कि वादी साक्षी संख्या–03 मनक प्रसाद का साक्ष्य दिनांक 23.11.2017 को अभिलिखित किया गया तथा साक्ष्य के क्रम में वादी साक्षी सं0–03 ने वादी के द्वारा दाखिल महादानामा की छायाप्रति को साबित किया है, जिसे न्यायालय द्वारा सिर्फ पहचान के लिए (X) मार्क अंकित किया गया है। उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दिनांक 26.07.2022 को दाखिल करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2017 को साक्ष्य लिखित किया गया तथा साक्ष्य के क्रम में वादी साक्षी सं0–03 ने वादी के द्वारा दाखिल महादानामा की छायाप्रति को न तो साबित किया है और न पहचान के लिए (X) मार्क किया गया है। उक्त आवेदन विचारार्थ अभी न्यायालय में लम्बित है तथापित यह दुसरा आवेदन दिनांक 30.08.2022 को दाखिल कर कंडिका 03 में यह अंकित किया गया है कि वादी साक्षी सं0–02 गौरीशंकर साह अपने साक्ष्य के क्रम में	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2007

सैयद एजाज.....वादी

बनाम

नगीना शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 24.01.2026	दिनांक 07.009.2017 को केवल पहचान के लिए (x) प्रदश्र अंकित किया हैं उसी (x) मार्क अंकित असल महादानामा की छायाप्रति को वादी की ओर से प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया गया। माननीय जिला जज महोदय के आदेश दिनांक 25.10.2019 में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अनिबंधित महादानामा की छायाप्रति को रिकन्सट्रक्ट किया जाता है। साथ ही यह भी आदेश नहीं है कि उक्त दस्तावेज को प्रदर्श अंकित किया जाए, जबकि रिकार्ड अंतिम बहस में चल रहा है तथा साक्ष्य रिकॉल करने वास्ते या उक्त दस्तावेज को साक्ष्य ग्राह्य करने वास्ते कोई आवेदन नहीं आया है, वैसी सूरत में वादी का आवेदन स्वीकृत होने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का आवेदन दिनांक 30.08.2022 को खारीज किया जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधिश के सामान्य आदेश सं0–270/2019 दिनांक 24.10.2019 के आलोक में न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2022 को अपंजीकृत माहादानामा की छायाप्रति को असल अपंजीकृत माहादानामा के स्थान पर रिकन्सट्रक्ट करने का आदेश दिया जा चुका है। न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.2017 के अनुसार साक्षी सं0–02 गौरीशंकर साह की पहचान पर माहादानामा दस्तावेज दिनांक 25.01.2005 की छायाप्रति को पहचान के लिए x चिन्हित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उसी दस्तावेज को पुनः प्रदर्श अंकित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन अंदर धारा 151 व्य0प्र0सं0 दिनांक 30.08.2022 पोषणीय नहीं होने के	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2007

सैयद एजाज.....वादी

बनाम

नगीना शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 24.01.2026	कारण खारीज किया जाता है। वाद दिनांक 24.02.2025 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	